न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—277/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00277)

1. श्रीमती सुन्दरी पत्नि चौथू भांबी (नाम तर्क)
2. पांचू पुत्र हालू भांबी
   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम देवास तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. कानाराम पुत्र हालू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 रामदेव पुत्र कानाराम
   1/2 सुरेन्द्र पुत्र कानाराम (नाम तर्क 18.08.2025)
   1/3 पतासी पत्नि कानाराम
   1/4 सीता पुत्री कानाराम
   1/5 रूकमा पुत्री कानाराम
   1/6 विमला पुत्री कानाराम
   1/7 रेखा पुत्री कानाराम
   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम देवास तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 राजस्व वाद संख्या 90/2012.

उपस्थितः—

1. श्री दिलीपसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3 से 1/7
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2, 3

निर्णय

दिनांकः—11.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादी अपीलांटस एवं राज्य सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने वाद को दर्ज कर वाद का नोटिस प्रतिवादी को जारी किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 3, 4 राज्य सरकार की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 के द्वारा वादी के वाद को डिक्री करने का आदेश

प्रदान कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा का निर्णय डिक्री दिनांक 28.5.2016 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा में निर्णय पारित किया गया अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.10.2017 को ग्राम में उस समय हुई जब रेस्पो० ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को फसल बोने से मना कर दिया जिस पर प्रार्थी दिनांक 13.10.2017 को मसूदा गया एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 13.10.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 17.10.2017 को नकल प्राप्त कर अपने घर गया एवं फीस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवायी जाकर बिना किसी देरी के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी उपरोक्त सद्भाविक कारण से होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है। इसलिये न्यायहित मे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिए एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए सरसरी तौर पर एक तरफा में अपीलाधीन निर्णय प्रदान किया है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर गोर नहीं दिया कि विवादित आराजी का अपीलांट खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है जो राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा मे निर्णय पारित करने में भूल की है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट प्रकरण में विधिवत तामील नहीं होने से अनुपस्थित रहा तथा प्रतिवादी सं० 2 ने राजीनामा वाद में पेश किया जिसके आधार पर अदालत ने बिना विधिवत जांच किये ही प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी को वादी के खातेदारी में दर्ज करने का गलत रूप से आदेश प्रदान कर दिया जबकि प्रतिवादी सं० 2 की ओर से वाद में न कोई राजीनामा पेश किया और ना ही प्रतिवादीया के किसी राजीनामा पर हस्ताक्षर है और ना ही वह किसी राजीनामा से सहमत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आदेशिका पर जो अपीलांट पांचू के हस्ताक्षर है करवाये गये है वह भी फर्जी है अपीलांट ने कभी कोई आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा अदालत ने प्रकरण को लोक अदालत मे नियत कर अपीलांट को बिना नोटिस दिये वाद को डिक्री कर दिया जबकि लोक अदालत में राजीनामा या आपसी सहमति से तय होने वाले प्रकरण ही निर्णित किये जाते है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। इसके अलावा अपीलांट विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है और रेस्पो० का आराजी से कभी कोई सबंध नहीं रहा है। किन्तु अदालत ने बिना किसी आधार के रेस्पो० का वाद को डिक्री करने में भूल की है। सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एंव कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है जो न्याय के सहज एंव प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि ग्राम रीछमालिया पटवार क्षेत्र रुपाहेली कला भू.अ.नि क्षेत्र रामगढ़ तहसील, मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख.न. 135 रकबा 2–01–00 व 137 रकबा 2–04–00 व 138 रकबा 17 बिस्वा व 151 रकबा 1–06–00 कुल किता 4 रकबा 6–08–00 बीघा व खसरा नम्बर 136 रकबा 02 गै0मु0 चाह की आराजी साबिक खन० 37 से बने है। साबिक खसरा नम्बर 37 का रकबा 6–10–00 था जो कि वादी के अकेले की खातेदारी की भूमियां है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके इनमें अपने नाम लगवा लिये है और वादी का नाम हटवा दिया है जिसकी दुरुस्ती के लिए प्रतिवादीगण से कहने पर मना कर दिया है तथा दीगर व्यक्तियों को बेचने की धमकी दी है। अतः वाद लाने की आवश्यकता हुई है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जाये तथा राजस्व अभिलेखों में इन भूमियों में वादी का नाम लगवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी की इन आराजीयात में दखलंदाजी एवं हस्तांतरण आदि से निषेध किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता

नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रकरण में राजीनामे के आधार पर वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 25.05.2016 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तामील विधिवत रूप से नहीं कर उन्हें साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही प्रकरण में विधि विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार हैं जिन्हें प्रकरण में बिना प्रोपर तामील करवाए प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया कि लोक अदालत के तहत उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जिस प्रकरण में प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामे पर हस्ताक्षर किए गए हो व न्यायालय उक्त राजीनामे को तस्दीक करे। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाए प्रकरण को लोक अदालत में नियत किया गया व लोक अदालत के नोटिस भी विधिक रूप से तामील नहीं करवाए गए। ऐसे में उक्त राजीनामे की जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं थी, और ना ही उक्त राजीनामे बाबत उनकी सहमति थी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2016 में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य अपूर्ण राजीनामे को आधार मानकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई, जबकि उक्त राजीनामे पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर ही अंकित नहीं है। उक्त राजीनामे पर व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर सरपंच ग्राम पंचायत, देवास की मोहर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह भी अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए राजीनामे की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत देवास द्वारा की गई। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत देवास को राजीनामा तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि क्या राजीनामा किया गया है। लोक अदालत कमेटी के हस्ताक्षरों का भी राजीनामे में अभाव है। सरपंच देवास ने एक पक्ष के हस्ताक्षरों की ही पहचान की है, लेकिन अपीलांट के हस्ताक्षरों की पहचान नहीं की है। अतः यह राजीनामा किसी भी प्रकार राजीनामे की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 को निरस्त किया जाता है

तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारों की विधिवत तामील सुनिश्चित कर समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर